न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 हरीतिमा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 64/21

मंगतू पुत्र लाभू जाति खारवाल निवासी सूरतगढ़ (मृतक) जरिये उदय सिंह पुत्र बाल मुकन्द जाति खारवाल निवासी वार्ड न. 31 सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री भगवानदत्त शर्मा
2. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांकः 11.11.2021

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 जिसके द्वारा अपीलांट के दादा मंगतू पुत्र लाभू जाति खारवाल का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 485/19 का 1.936 है0 टी.सी. आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2006 अपीलांट के दादा को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर अपीलांट के दादा के नाम का 40 वर्ष पुराना टी.सी.आवंटन अपने ही कयासो के आधार पर मृतक के विरूद्व निर्णय करके टी.सी. आवंटन खारिज कर दिया। अपीलान्ट के दादा को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत सन 1970–71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन सें लेकर संवत 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा जिसकी संलग्न रसीदे पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.08.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के दादा के नाम का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर उक्त टी.सी. आवंटित रकबा खारिज फरमा दिया गया व कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नही लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की सूचना अपीलांट के दादा व उसके वारिस अपीलांट को नही दी। मातहत न्यायालय ने अपीलांट के दादा के नाम का उक्त टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांट के दादा के नाम से आवंटित उक्त रकबा 2 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट के दादा के नाम से आवंटित रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

उक्त आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा अपीलांट के दादा के जीवन में अपीलांट के दादा का, उसके बाद जायज वारिस वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को मेरे दादा के नाम से आवंटित उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर अपीलांट के दादा के जीवन में अपीलांट के दादा का तथा उनकी मृत्यु उपरांत जरिये वसीयत नामा दिनांक 11.08.1986 के आधार पर अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्धति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश न्यायोचित निर्णय की परिभाषा में नही आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेंड प्रफोमा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नही किया गया। उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2006 निरस्त फरमाया जावें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपस्थित हुए तथा पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्व दिनांक 31.08.2006 पारित किया है, क्योंकि अपीलांट के दादा की मृत्यु दिनांक 24.05.1990 को हो चुकी थी। इस रकबा पर अपीलांट के जायज वारिस वसीयतनामा के आधार पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनें, बिना साक्ष्य के अपीलांट के दादा के नाम की आवंटित 40 वर्ष पुरानें टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2008 (2) पेज 1216, आरबीजे 2013 पेज 226, आरआरटी 2017 पार्ट–I पेज 125 (एचसी) में यह माना है कि एक मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश शुरू से ही शून्य हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अनवान देवीलाल चर्तुवेदी बनाम फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय शुरू से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन समय–सगय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा अपीलांट के दादा के फौत होने के पश्चात जरिये वारिसनामा अपीलांट का कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की सीमा परिधि से 2 किमी से ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (I) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया। अपीलांट के पक्ष में मृतक मंगतुराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 11.08.1986 को वसीयत भी निषपादित कर दी थी तथा अपीलांट मंगतुराम का द्वितीय श्रेणी का वारिस भी है। मृतक मंगतुराम अपीलांट के दादा का सगा भाई था। अपीलांट ही मृतक मंगतुराम की सेवा चाकरी करता था इसी वजह से सेवा चाकरी से खुश होकर अपीलांट के दादा ने अपीलांट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी। भू. अभिलेख निरीक्षक कस्बा सूरतगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 के अनुसार अपीलांट मृतक लाभूराम का वसीयती वारिस है तथा उक्त रकबा अपने नाम दर्ज करवाकर खातेदारी प्राप्त करने का व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने का कानूनी हकदार है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्व पारित किया है अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.08.2006 खारिज किया बाबत निवेदन किया।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेराफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते तथा ना ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट मृतक मंगतूराम का द्वितीय श्रेणी का वारिस है तथा मृतक मंगतूराम द्वारा निष्पादित वसीयती वारिस है। इसलिए अपीलांट हितबद होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का रेस्पोडेंट ने कोई विरोध नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्व पारित किया गया है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है। ऐसे निर्णय को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 31.08.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 485/19 की 1.936 है0 बारानी भूमि मृतक मंगतूराम को टी.सी. आवंटन हुई थी जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए अपीलांट के दादा के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (I)रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117 तथा आरबीजे 2013 पेज 226 व आरआरटी 2017 पार्ट–1 पेज 125 (एचसी) इस प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते है, इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.08.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ सूरतगढ़

Scanned by CamScanner